

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(19)राज/वाद/19

जयपुर, दिनांक

25/10/19

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैनुअल 1999 के नियम 15(2) 16 एवं 17 के अनुसार श्री राघवेन्द्र पारीक, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं0 आर/158/84) को जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर जिला, जयपुर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, जयपुर के पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 16,800/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है।

श्री कृष्ण कुमार भटनागर, लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, जयपुर जिला को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से


४०.

(जगमोहन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
5. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर/जोधपुर।
7. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
8. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर जिला, जयपुर।
9. जिला कलक्टर, जयपुर।
10. कोषाधिकारी, जयपुर।
11. संबंधित अभियोजक।
12. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
13. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
14. सहायक लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
15. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
16. रक्षित पत्रावली।

  
25/10/2019

(जगमोहन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(19)राज/वाद/19

जयपुर, दिनांक 25/10/19

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैनुअल 1999 के नियम 15(2) 16 एवं 17 के अनुसार निम्नांकित अभिभाषकों को उनके नाम के सम्मुख पद व स्थान तथा मासिक रिटैनेरशिप रूपये 14,700/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए राज्य सरकार की ओर से पैरवी हेतु नियुक्त किया जाता है :-

क्र०सं०	नाम अभिभाषक	एनरोलमेन्ट नं०	पद नाम/स्थान
1	श्री भोजराज यादव	आर/49/02	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं०2, कोटपूतली, जिला जयपुर
2	श्री कन्हैया लाल गुर्जर	आर/46/98	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं०3, कोटपूतली, जिला जयपुर


निम्नांकित अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

क्र०सं०	नाम अभिभाषक	पद नाम
1	श्री नीशू सैनी	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं०3, कोटपूतली, जिला जयपुर

आज्ञा से  
हो  
(जगमोहन शर्मा)  
विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर/जोधपुर।
- 7 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 8 जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर जिला, जयपुर।
- 9 अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सं०2 एवं सं०3, कोटपूतली, जिला जयपुर।
- 10 जिला कलक्टर, जयपुर।
- 11 कोषाधिकारी, जयपुर।
- 12 संबंधित अभियोजक।
- 13 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 14 समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
- 15 लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
- 16 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 17 रक्षित पत्रावली।

  
25/10/2019  
(जगमोहन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण